



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73-नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष :-0135-2657610, फैक्स :-0135-2655488

पत्रांक-नि-3830

/13-1 /विकास कार्य/रायली

दिनांक 14 सितम्बर 2016

स्थायी ओदेश

विकास कार्यों से सम्बन्धित वृक्षों का आवंटन उत्तराखण्ड वन विकास निगम को निस्तारण के आशय से प्राप्त होता है जिसमें कटान, ढुलान कर उत्पादित प्रकाष्ठ की बिक्री वन निगम के माध्यम से की जा रही है। उक्त आवंटित लाटों के वृक्षों के पातन एवं ढुलान व्ययों का वहन सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/आवंटित संस्था द्वारा कर्ये जाने के सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून के पत्र संख्या 783/1-42 दिनांक 05-09-2016 जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। पत्र में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जारी पत्र सं0 (1) F.No.5-1/98-FC Date 29.03.2005 एवं (2) F.No.5-1/2007-FC Date 11.12.2008 (छायाप्रति संलग्न) में प्रदत्त दिशा निर्देशों का उल्लेख है।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 05-09-2016 में उल्लेख है कि 'विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में देय एन०वी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पथ वृक्षारोपण एवं अन्य मदों की धनराशि को छोड़कर आवंटी लौटों के वृक्षों के निस्तारण में होने वाले व्यय का भुगतान की धनराशि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा प्रत्युत प्राक्कलन के अनुसार उत्तराखण्ड वन विकास निगम को की जायेगी, ताकि विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आवंटित लौटों का त्वरित गति से निस्तारण किया जा सके।'

उपरोक्त आदेश के आलोक में विकास कार्यों से सम्बन्धित वृक्षों के निस्तारण में क्रियान्वयन हेतु निम्नवत निर्देश प्रदत्त किए जाते हैं:-

1. विकास कार्यों से सम्बन्धित आवंटित वृक्षों की रायली उ०व०वी०नि० द्वारा भुगतान नहीं की जायेगी।
2. आवंटित लौट के वृक्षों की मौके की स्थिति, नार्स दर, चूनतम मजदूरी एवं बाजार दर को ध्यान में रखकर आवंटित वृक्षों के कटान, गिरान, लौगिंग एवं विक्रय डिपो तक ढुलान कार्यों के प्राक्कलन सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा तैयार किए जाएं एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक से अनुमोदनोपरान्त, प्राक्कलन की प्रति सहित अग्रिम धनराशि की मांग प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा कार्यदायी/आवंटी संस्था से की जाय। यह कार्यवाही आवंटन तिथि से दो सप्ताह के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाय।
3. (I) कार्यदायी/आवंटी संस्था से मांग के अनुरूप अग्रिम धनराशि प्राप्त होने पर उक्त वृक्षों का कटान, गिरान लौगिंग एवं ढुलान का कार्य त्वरित गति से अनुमन्य अवधि के अन्तर्गत प्रचलित लौगिंग निर्देशों के अनुरूप किया जाय।
(II) समस्त उत्पादित प्रकाष्ठ आदि को निकटस्थ/निर्धारित डिपुओं तक ढुलान किया जाय एवं सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक को हस्तगत कराया जाय।
(III) आवंटित वृक्षों का निस्तारण, लौगिंग एवं ढुलान कार्य कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक का है।
4. डिपो स्तर पर प्राप्त प्रकाष्ठ आदि का भण्डारण एवं विक्रय विकास कार्य प्रकरण वार, वन विभाग की जाती प्रकाष्ठ की भौति किया जाय।
5. उ०व०वी०नि० की प्रचलित विक्रय प्रक्रिया के अनुसार प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा उक्त प्रकाष्ठ आदि का विक्रय एवं निस्तारण किया जाय। जाती की ही भौति नगद छूट अनुमन्य नहीं है। नीलाम/निविदा के दौरान कार्यदायी/आवंटी संस्था के प्रतिनिधि की उपस्थिति अपेक्षित है।

Abd

6. उक्त प्रकाष्ठ आदि के विक्रय के विरुद्ध प्राप्त धनराशि 'प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक' के स्थाने में जमा की जाय तथा विक्रय सम्पन्न होने पर, उक्त विक्रय मूल्य की धनराशि बिना किसी कटौती के सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को यथाशीघ्र हस्तगत कर दी जाय।
7. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा; विकास कार्य की लौट के उत्पादित प्रकाष्ठ आदि के विरुद्ध प्राप्त विक्रय मूल्य में से उ०व०वि०नि० के विभिन्न कार्यों चट्टाबन्दी, बीमा, प्रशासनिक व्यय आदि बावत् सर्विस चार्ज @ 20 % (कुल विक्रय मूल्य का) कटौती कर शेष धनराशि कार्यदायी/आवंटी संस्था, जैसा कि भारत सरकार के उपरिलिखित पत्र दिनांक 29-03-2005 में निर्देशित है, को यथाशीघ्र कर दी जाय।
8. कार्यदायी/आवंटी संस्था एवं वृक्षों के आवंटन के प्राप्तकर्ता प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक उ०व०वि०नि० के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निस्तारण हेतु सम्बन्धित महाप्रबन्धक उ०व०वि०नि० आर्बीट्रेटर होंगे जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू किए जाते हैं।

संलग्नक :- यथोपरि।



(एस०टी०एस० लेखा)


प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :- नि-३४३०/तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक (कार्ययोजना), हल्द्वानी।
5. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
9. लेखाधिकारी मुख्यालय/आ०स०अ०/अन्य अधिकारी/प्रभारी आई०टी०सैल, मुख्यालय उ०व०वि०नि०, देहरादून।
10. प्रति:- (I) शिविर पत्रावली।
 (II) गार्ड फाईल।

संलग्नक :- यथोपरि।



(एस०टी०एस० लेखा)

प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-

/ 1-42 :देहरादून:दिनांक: ०५ सितम्बर, 2016

सेवा में,

1. प्रमुख अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, यमुना कालोनी,
देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता,
यूआरओआरओएओ,
सहस्रधारा रोड, देहरादून।
3. पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक,
गढ़वाल / कुमाऊँ,
उत्तराखण्ड।
5. महानिरीक्षक,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस, उत्तराखण्ड, सीमाद्वारा,
देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता,
शिवालिक प्रोजेक्ट, सीमा सड़क संगठन,
ऋषिकेश।
7. मुख्य अभियन्ता,
हीरक प्रोजेक्ट, सीमा सड़क संगठन,
चम्पावत।
8. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिंग ऊर्जा
भवन, कॉवली रोड, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी,
देहरादून।
10. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
मोहनी रोड, देहरादून।
11. निदेशक,
स्वजल परियोजना,
मसूरी डाईवर्जन रोड, मक्कावाला,
देहरादून।
12. मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
नेहरू कॉलोनी, देहरादून।
13. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिंग,
उज्जवल भवन, महारानी बाग,
देहरादून।
14. आयुक्त, वाणिज्यकर भवन,
लक्ष्मी रोड, देहरादून।
15. निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
सहस्रधारा रोड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।
16. निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास 15 सी०
कालीदास मार्ग, हाथीबड़कला,
देहरादून।
17. निदेशक,
राज्य समाज कल्याण बोर्ड,
मथुरावाला रोड, अजबपुर कला,
देहरादून।
18. महानिदेशक,
स्वास्थ्य विभाग,
107 चन्द्र नगर, देहरादून।
19. मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
देहरादून।
20. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
पर्यटन विकास परिषद 3/3 इंडस्ट्रीयल
एरिया, पटेलनगर, देहरादून।
21. महानिरीक्षक,
सीमा सुरक्षा बल,
अल्मोड़ा।
22. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल
विकास निगम, 74/1 राजपुर रोड,
देहरादून।

उ०व०वि०नि०, शिविर कार्यालय, देहरादून।

प्राप्ति क्र. ७५५५ दिनांक ०६/०९/१६।

अधिकारी	विधि	ई०पी०एफ०	नियोजन
संस्था	र	आर०टी०आई०	विपणन
ऑफिट	भण्टपुर	भवन प्रभारी	खनन
पौरसं			

8 MD/GM/RM/OS

22. निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य विभाग,
उद्यान भवन, रानीखेत।
24. निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा 3/23, शास्त्रीनगर,
हरिद्वार रोड, देहरादून।
26. निदेशक,
यूवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, तपोवन रोड,
देहरादून।
28. निदेशक,
खेल विभाग, एम०पी० स्पोर्ट्स कालेज,
रायपुर रोड, देहरादून।
30. महानिरीक्षक,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस, उत्तराखण्ड, सीमाद्वारा,
देहरादून।
32. कर्नल क्यू
प्रतिरक्षा विभाग,
गढ़ीकैन्ट, देहरादून।
23. प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन
उत्तराखण्ड, विद्युत भवन, 132 के०पी०
सब स्टेशन निकट आई०एस०बी०टी०,
देहरादून।
25. प्रबन्धक निदेशक,
उत्तराखण्ड परिवहन निगम, वसन्त
विहार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
27. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,
श्रीनगर गढ़वाल।
29. परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
84, वसन्त विहार, देहरादून।
31. महाप्रबन्धक,
सतलज जल विद्युत निगम,
वरान्त विहार, देहरादून।
33. सम्बन्धित विभाग,
उत्तराखण्ड।

विषय:—विकास कार्यों से सम्बन्धित आंवटित लाटों के वृक्षों के कटान, गिरान, लौगिंग एवं ढुलान व्ययों का भुगतान सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/आंवटी संस्था द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में आदेश।

संदर्भ:—भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एफ.सी.), नई दिल्ली की पत्र संख्या— F.No. 5-1/2007-FC

Date 11-12-2008 एवं F.No. 5-1/98-FC(pt II) Date 29-03-2005.

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में आंवटित लाटों के वृक्षों के कटान, गिरान, लौगिंग एवं ढुलान व्ययों का भुगतान की धनराशि कार्यदायी संस्था/आंवटी संस्था द्वारा किया जायेगा।

अतः भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों की छाया प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हरतान्तरण प्रकरणों में देय एन०पी०पी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पथ वृक्षारोपण एवं अन्य मदों की धनराशि को छोड़कर आवांटी लौटों के वृक्षों के निरतारण में होने वाले व्यय का भुगतान की धनराशि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार उत्तराखण्ड वन विकास निगम को की जायेगी, ताकि विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आंवटित लौटो का त्वरित गति से निरतारण किया जा सके।

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,

(एस०टी०एस० लेज्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
10. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
11. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।

२५/११६
 (एस०टी०एस० लेखा)
 प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।

४



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

अरण्य विकास भवन, 73-नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष :-0135-2657610, फैक्स :-0135-2655488

पत्रांक-नि- 3548 /13-11/विकास कार्य लौट/
सेवा में,

दिनांक 12, सितम्बर 2016

नोडल अधिकारी/अपर प्रमुख वन संरक्षक,
वन भूमि संरक्षण निदेशालय,
देहरादून।

विषय- विकास कार्य से सम्बन्धित आवंटित लाटों के वृक्षों के कटान, गिरान, लौगिंग एवं ढुलान व्ययों का भुगतान सम्बन्धित कार्यदारी संस्था/आवंटी संस्था द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में ओदेश निर्गत किए जाने हेतु।

सन्दर्भ- भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (FC Division), नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र (1) सं-F.No.5-1/2007-FC Date 11.12.2008 एवं (2) सं-F.No.5-1/98-FC (pt II) Date 29.03.2005(प्रति संलग्न)

महोदय,

आपके संज्ञान में लाना है कि विकास कार्य सम्बन्धी आवंटित वृक्षों की लाटे दुरुस्थ, विषम एवं दुरुह भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित होती हैं। इन कारणों से उक्त वृक्षों के पातन में अत्यधिक व्यय वन विकास निगम को वहन करना पड़ता है और समय भी अधिक लगता है फलस्वरूप वन निगम के लिए हानिप्रद होने के साथ-साथ परियोजना में भी विलम्ब होता है। इस प्रम में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रस्ताव है कि विकास कार्य सम्बन्धी आवंटित लाटों के वृक्षों के पातन एवं उत्तराखण्ड प्रकाष्ठ के ढुलान में होने वाले व्यय का वहन कार्यदारी संस्था/आवंटी संस्था द्वारा किया जाय।

ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (FC Division), नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र सं-F.No.5-1/2007-FC Date 11.12.2008 द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रदत्त किये गये है कि क्षतिपूरक वनीकरण के साथ-साथ, उक्त वृक्षों के कटान, गिरान, लौगिंग एवं ढुलान कार्यों के व्ययों का भुगतान कार्यदारी संस्था/आवंटी संस्था द्वारा किया जाना है। (प्रति संलग्न है)

अतः आपसे अनुरोध है कि विकास कार्य सम्बन्धी लाटों के वृक्षों के निस्तारण में होने वाले व्यय: कटान, गिरान, लौगिंग एवं ढुलान कार्यों की धनराशि का भुगतान कार्यदारी संस्था/आवंटी संस्था द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को किये जाने बावृत् आदेश निर्गत किये जाने का कष्ट करें ताकि उक्त वृक्षों का निस्तारण त्वरित गति से हो सके।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(एस०टी०एस० लेघा)

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :-नि- 3548 /तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार संलग्नक सहित प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
4. लेखाधिकारी (मुख्यालय), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।

संलग्नक :- यथोपरि।

(एस०टी०एस० लेघा)

प्रबन्ध निदेशक

F.No.5-1/2007-FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(F.C. Division)

Paryavaran Bhawan,
C.G.O. Complex, Lodi Road,
New Delhi-110510.
Dated: 11th December, 2008

To

All Principal Secretary (Forests),
All States.

Sub: Clarification on payment towards cutting, felling, logging and transportation charges of project affected trees in addition to Compensatory Afforestation (CA) and Net Present Value (NPV) under the Forest (Conservation) Act, 1980.

Sir,

I am directed to refer to various communications received from different State / UT Governments and different User / Project Implementing Agencies on the subject cited above seeking clarification on payment towards cutting, felling, logging and transportation charges of trees to the State Forest Departments in addition to Compensatory Afforestation (CA) and Net Present Value (NPV).

In this connection, I am directed to say that the matter has been examined in the Ministry in terms of various orders of Hon'ble Supreme Court of India and other relevant Acts / Rules / Guidelines on the subject including the Hon'ble Supreme Court's judgment dated 28.03.2008, and to inform that the User / Project Implementing Agencies are not required to pay the cost of trees to the State Forest Departments but are required to make payment towards cutting, felling, logging and transportation charges of project affected trees to the State Forest Departments in addition to Compensatory Afforestation (CA) and Net Present Value (NPV). The guidelines issued vide our letter no.5-1/98-FC (Pt-II) dated 29.03.2005 (copy enclosed) are relevant and in force. These contain detailed procedure in this regard.

It is also requested to bring this to the knowledge of all concerned.

Yours faithfully,

(C.D. Singh)

Sr. Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All States.
2. The Nodal Officer (FCA), Forest Department, All States.
3. The Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, All Regions.
4. The User Agency / Directorate General Border Roads, New Delhi with reference to their letter no.21831/F.C/DGBR/64/TP (Plg) dated 05.11.2008.
5. Monitoring Cell
6. Guard File.

(C.D. Singh)

Sr. Assistant Inspector General of Forests

F.No. 5-1/98-FC(Pt.II)
 Government of India
 Ministry of Environment and Forests
 (F.C. Division)

Parivarjan Bhawan,
 CGO Complex, Lodhi Road,
 New Delhi - 110003.
 Dated: 29th March 2005.

To

The Principal Chief Conservator of Forests,
 Sikkim,
 Gangtok, Deorali-737102.

Sub: Disposal of the trees standing on the forest land diverted for non-forestry use under the Forest (Conservation) Act, 1980; clarification – regarding.

Sir,

With reference to the subject mentioned above, kindly refer to your letter No. 795(870) FCA/FEWMD dated 05.01.2005 seeking clarification regarding disposal of the trees standing on the forest land diverted for non-forestry use under the Forest (Conservation) Act, 1980. The matter has been considered holistically, and I am directed to furnish following opinion of the Ministry in this regard –

Sl. No.	Category of land/forests	Operational Works (felling of trees, dragging of timber, etc.)*	Disposal of timber and sale proceeds
1.	Notified Forests	<ul style="list-style-type: none"> • Operational cost to be deposited by the User Agency directly in the name of the concerned Divisional Forest Officer or the Nodal Officer. • Such operation shall be carried out by the State Forest Department. 	<ul style="list-style-type: none"> • Timber shall be disposed of by the State Forest Department in the manner as deemed fit by it and the sale proceeds shall also accrue to the department.
2.	Forests/Plantations Notified as Protected Forests on the lands owned by Government Departments (other than Forest Department).	<ul style="list-style-type: none"> • The User Agency shall be responsible for the operation at the project cost under supervision of the land owning Government Department, or • According to any other arrangement reached between the User Agency and the land owning Government Department. 	<ul style="list-style-type: none"> • Timber shall be disposed of by the land owning Government Department in consultation with the State Forest Department, and the sale proceeds shall also accrue to the land owning department, or • According to any other arrangement reached between the User Agency and the land owning Government Department in consultation with the State Forest Department.
3.	Government land other than Notified Forests.		
4.	Private land	<ul style="list-style-type: none"> • The User Agency shall be responsible for the operation at the project cost under supervision of the land owner, or • According to any other arrangement reached between the User Agency and the land owner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Timber shall be disposed of by the land owner in consultation with the State Forest Department, and the sale proceeds shall also accrue to him, or • According to any other arrangement reached between the User Agency and the land owner in consultation with the State Forest Department.

* In all cases, felling and transit regulation framed/adopted by the concerned State/UT Government shall apply.

Yours faithfully,

(Sandeep Kumar)
 Assistant Inspector General of Forests

Copy for information to:-

1. The Secretary (Forests), All State/UT Governments.
2. The Principal Chief Conservator of Forests, All States/UTs.
3. Nodal Officers, O/o the PCCFs, All States/UTs.
4. All Regional Offices, Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
5. RO(HQ)/Monitoring Cell, MoEF, New Delhi.
6. All AIGs (FC) / Director(FC).
7. Guard File.

(Sandeep Kumar)
Assistant Inspector General of Forests